The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Military Aid used against Food Agitators

3343. Shri Kolla Venkaiah: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the places at which the military has been called to reinforce the police force against the people agitating for food in 1966 in the country upto the 11th March, 1966;

(b) the strength of the military force called to assist the police at different places; and

(c) the reasons for calling the military into action?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c). The military was called in aid of civil power in the areas of Asansol, Ranaghat, Santipur, Krishnanagar Hooghly, Howrah and Calcutta to assist the police force for maintaining law and order and to protect public property from wanton destruction. A total of four infantry battalions was employed.

Fertilizer Plant, Durgapur

3344. Shri Yashpal Singh: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an agreement has been entered into with an Italian firm for the setting up of a Fertilizer Factory at Durgapur; and

(b) if so, the terms and conditions of the agreement?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) No.

(b) Does not arise.

शरणार्थियों को भूमि का आवंटन

3345. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए अनुसूचित जातियों के लोगों को उस समय उनके परिवारों के सदस्यों की संख्या के आधार पर खेती के लिये जितनी भूमि आवंटित की गई थी, वह अब उन के परिवारों के सदस्यों की संख्या बढ़ जाने के परिणामस्वरूप सर्वथा अपर्याप्त हो गई है, जिस के परिणामस्वरूप उन्हें अपना गुजारा करना कठिन हो गया है ; और

(ख) क्या अब उन्हें खेती के लिये अधिक भूमि देने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). प्रारंभ में कुछ राज्यों में निष्क्रान्त कृषि भूमि का आवंटन परिवार के सदस्यों के आधार पर किया गया था । ये आवंटन पुनर्वास उपायों के रूप में किये गये थे और अनुसूचित जातियों तथा अन्य विस्थापित व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा गया था । विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की अधिनियमिति के बाद कृषि भूमि का आवंटन केवल उन विस्थापित व्यक्तियों के लिये सीमित कर दिया गया था जिनके पास कृष्य भूमि सत्यापित दावे हों । विस्थापित व्यक्तियों को उन के परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाने के आधार पर अतिरिक्त भूमि बांटने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।